



ओ० बी० एच० एस० एवं लिनेन वितरण कर्मचारी के मल्टी-स्कीलिंग हेतु हैण्डबुक



मण्डल प्रशिक्षण केन्द्र
यांत्रिक / समाडि / मंडुवाडीह
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी

प्रस्तावना

रेलवे मे यात्रियों के आवश्यक सुख सुविधा एवं सुरक्षा हेतु नई-नई खोजे की जा रही है । रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के आलोक में ट्रेनो में ओ.बी.एच.एस. का प्रावधान किया गया है। आज के परिपेक्ष्य में जब बहुकौशल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के क्रम मे वाराणसी मण्डल आधारित ट्रेनो मे चल रहे ओ.बी.एच.एस. कर्मचारी एवं लिनेन वितरण कर्मचारी को एक ट्रेनिंग माडयूल बनाकर विभिन्न विषयो पर प्रशिक्षण दिया गया तथा सभी बिन्दुओं को समेकित कर एक हैण्डबुक तैयार किया गया है। इस हैण्डबुक में आम बोल-चाल की भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि ओ.बी.एच.एस., लिनेन वितरण कर्मचारी एवं कैरेज से सम्बंधित कर्मचारी को विषय वस्तु समझने मे आसानी हो ।

इस हैण्डबुक को मण्डल प्रशिक्षण केन्द्र/यॉत्रिक/समाडि मण्डुवाडीह के मुख्य अनुदेशक श्री अजय कुमार तिवारी द्वारा, श्री शैलेश कुमार सिंह कोचिंग डिपो अधिकारी मण्डुवाडीह तथा श्री एस.पी. श्रीवास्तव वमयांड/समाडि/वाराणसी के दिशा निर्देशन में तैयार किया गया है। मण्डल प्रशिक्षण केन्द्र को आशा ही नही बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह ओ.बी.एच.एस. एवं लिनेन वितरण कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित होगा। मण्डल प्रशिक्षण केन्द्र यॉत्रिक/समाडि की ओर से ओ.बी.एच.एस. कर्मचारी, लिनेन वितरण कर्मचारी एवं कैरेज रेल परिवार के लोगो को शुभकामनाएं।

विषय-सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	ओबीएचएस स्कीम, उनका कार्य क्लीनिंग शिड्यूल एवं ड्रेस कोड	1
2	केमिल्स एवं नान कन्जम्यूबलस्	2-4
3	बायो टायलेट, ओबीएचएस कर्मचारियों द्वारा ले जाने वाले दस्तावेज	5
4	यात्रियों से फीडबैक, क्लीन रेल एप्प, शिकायत/जनपरिवाद का निपटारा, कूड़ा इकट्ठा करना एवं इसका निस्तारण एवं बेडरोल कर्मचारियों हेतु सामान्य निर्देश	6-7
5	खोये एवं पाये सामग्रियों का निस्तारण, यान में अनधिकृत व्यक्ति का होना एवं यात्री सुविधा मद के मरम्मत के सम्बन्ध	8
6	नामित वाटरिंग स्टेशनों का ज्ञान	8
7	आपातकालीन खिड़की को खोलने का तरीका	9
8	ए0 सी0 पी0 का ज्ञान एवं रिसेटिंग की विधि	10-11
9	ब्रेक बाइंडिंग को ठीक करने की विधि,आग एवं आग बुझाने की विधि	12-14
10	तकनीकी शब्द, संक्षिप्त शब्द एवं उसका विस्तार	15

ओ०बी०एच०एस० स्कीम

ओ०बी०एच०एस० स्कीम की आवश्यकता :- आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में साफ सफाई एवं हाईजीन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे में रनिंग के दौरान साफ सफाई को स्तरीय बनाने तथा यात्री संतुष्टि के लिए ट्रेनों के रनिंग के दौरान साफ सफाई हेतु ओ०बी०एच०एस० स्कीम का प्रावधान रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है।

ओ०बी०एच०एस० कर्मचारियों का कार्य

सामान्यतया वातानुकूलित एवं शयनयानों में रनिंग के दौरान साफ सफाई का कार्य ओ०बी०एच०एस० कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

क्लीनिंग शिड्यूल (सफाई की अवधि) :- वैसे तो ओ०बी०एच०एस० कर्मचारियों को यात्रियों के बुलावे पर कभी भी सफाई कार्य करनी पड़ेगी लेकिन सामान्य स्थितियों में चार-चार घंटे के अंतराल पर शौचालयों, हैण्ड वाश बेसिन, डोर वे, गैंग वे, वेस्टीव्यूल एरिया एवं वैसे स्टेशन जहाँ गाड़ी 10 मिनट से ज्यादा रुकती है तो वातानुकूलित यानों के शीशे की सफाई प्लेटफार्म साईड से करनी है। यात्रियों के बैठने का क्षेत्र (पैसेंजर कम्पार्टमेंट), कोच ऐसेले एरिया (यान का गलियारा) की झाड़ू से सफाई, कूड़ा उठाना एवं डीसइन्फेक्टिव मैटेरियल के साथ मोपिंग का कार्य दिन में दो बार नियमित अन्तराल पर करनी है। वापसी यात्रा में भी उक्त सारे कार्य नियमित अन्तराल पर करनी है, साथ – साथ शौचालयों में लगे सोप डिस्पेंसर में सोप लिक्विड डालना तथा वेस्टर्न कमोड वाले शौचालय में टिशू पेपर की उपलब्धता एवं ओडोनिल कन्टेनर में ओडोनिल का रखा जाना सुनिश्चित करना है। मच्छर भगाने वाले स्प्रे का छिड़काव सभी यानों में करना है, खासकर शौचालय एवं वेस्टीव्यूल में यात्रियों की मांग पर इसे अलग से करना है। सफाई कार्य के बाद या यात्रियों की मांग पर सभी वातानुकूलित यानों में एयर फ्रेशनर का छिड़काव करना है। सामान्यतया उपर्युक्त सभी कार्य रात्रि के 22:00 बजे से सुबह के 06:00 बजे तक नहीं किया जाता है। सामान्यतया तीन यानों को मिलाकर एक वर्क स्टेशन तैयार किया जाता है, या क्षेत्रीय रेलवे की आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है।

ड्रेस कोड (सुपरवाइजर एवं जैनीटर)

किसी भी सरकारी कर्मचारी, प्राईवेट कर्मचारी या अन्य कार्यों में लगे कर्मचारियों के विशिष्ट पहचान हेतु एक ड्रेस कोड , बैच इत्यादि निर्धारित होता है। जिससे कि उक्त कर्मचारी की पहचान हो सके। ओ०बी०एच०एस० कर्मचारियों हेतु भी एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है जिससे की यात्रा के दौरान रेल यात्री उन्हें आसानी से पहचान सकें। ओ०बी०एच०एस० कर्मचारी साफ सुथरे निर्धारित ड्रेस में होने चाहिए उनके पास कैप, हैण्ड ग्लब्स, अच्छी क्वालिटी का टिकाऊ सिंथेटिक जूते (गम बूट), फेस मास्क, नेम बिल्ला, पहचान पत्र एवं मेडिकल कार्ड ड्यूटी के दौरान हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। ओ०बी०एच०एस० सुपरवाइजर भी साफ सुथरे निर्धारित ड्रेस में होने चाहिए उसके पास अच्छे क्वालिटी का चमड़े के काले रंग का जूता, अच्छे क्वालिटी का हैण्ड टार्च, सेफ्टी एलार्म हेतु मेटेलिक सिटी उपलब्ध होना चाहिए।

केमिकल्स एवं नान कन्जम्प्युबलस् :-

क्र० सं०.	केमिकल का नाम	अनुमोदित ब्रान्ड / स्पेशीफिकेशन	मात्रा
1	पी०.वी.सी.फ्लोर रेक्सिन एवं वाल पैनलस्	आर 2 / स्पाइरल (जॉनसन डायवर्सी) या सिग्ला नेचुरल (इको लैब का) या मॉकलिनॉर आर० आइ. ओ० 38 या गारडीसॉन फ्रेश (मेसर्स चेला का) या ए० पी० सी० एफ० हैलाइड का	50 मिली / कोच / दिन
2	सेरेमिक एवं स्टेनलेस स्टील टॉयलेट फिटिंग्स हेतु क्लीनिंग एजेंट	टास्की आर 1 / टास्की आर६ / (जॉनसन डायवर्सी) या इको लैब का सिग्ला नेचुरल या हारपिक या रेटोऑयलर डोमेक्स या मेसर्स चेला का गारडीसॉन फ्रेश या हैलाइड का स्टेरीक्स ए सुपर	70 मिली / कोच / दिन
3	ग्लास क्लीनिंग एजेंट	टॉस्की आर 3 (जॉनसन डायवर्सी) या इको लैब का ओसी ग्लास क्लीनर या कोलीन या मोकलीन या मेसर्स चेला का इयूरोवॉस 1000 या केलीन एवं हैलाइड का साइन	20 मिली / कोच / दिन
4	कीटाणुनाशक	आर 1 / स्ट्राइड (जॉनसन डायवर्सी) या इको लैब का समतुल्य ब्रान्ड या लाइजोल या मेसर्स चेला का गारडीसॉन फ्रेश	50 मिली / कोच / दिन
5	एयर फ्रेशनर	वाटर वेस्ड टॉस्की आर 5 या इको लैब का समतुल्य ब्रान्ड या प्रीमीयम या हाजेल या ओबियस या चेला का एअर फ्रेश या हैलाइड का फ्रेशेक्स या कोई भी पानी आधारित नामी एवं अनुमोदित ब्रान्ड	10 मिली / कोच / दिन
6	मच्छर भगाने वाला स्प्रे	हिट / बायगॉन / मॉर्टिन या रेलवे द्वारा अनुमोदित उसी के जैसा कोई ब्रान्ड	400 मिली / राउण्ड ट्रीप / ट्रेन
7	सोप लिक्विड	लाइफ व्याय / डिटॉल / पालमोलिव / फेम / फ्रेश हैण्डस् एल क्यू इं एल क्यू प्रथम वातानुकूलित यान के लिए हैलाइड का पर्ल, एक्वागोल्ड / हेनको, दूसरे वातानुकूलित यान के लिए या रेलवे द्वारा अनुमोदित कोई अन्य ब्रान्ड या उपयुक्त फोम सोप कार्टेज एम डी टी एस 209 के अनुसार	400 मिली / एसी कोच / लौटते यात्रा तक (डे राउण्ड ट्रीप)
8	वातानुकूलित यान के वेस्टर्न टॉयलेट हेतु टीश्यू पेपर	सफेद रंग का 34 जी एस एम का, दो प्लाई का, 25 मीटर का जिसमें एक प्लाई की चौड़ाई लगभग 10 सेमी हो, 200 बार खींचने हेतु। जॉनसन डायवर्सी या पैडमजी पल्प या इसके समतुल्य जो कि प्रमुख मुख्य यॉत्रिक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित हों	02 रोल / एसी कोच / राउण्ड ट्रीप

9	वातानुकूलित यानों के प्रत्येक शौचालयों में डीओडोरेन्ट स्टीक / केक	ओडोनील या मेसर्स चेला का एयर फ्रेश या रेलवे द्वारा अनुमोदित ब्रान्ड	यात्रा के अन्त तक अर्थात वापसी यात्रा तक
10	रोडेन्ट हेतु ग्लू बोर्ड (पेस्ट एवं रोडेन्ट कन्ट्रोल ठीकेदार द्वारा आपूर्ति की जायेगी)	पेस्ट एवं रोडेन्ट कन्ट्रोल अनुबंध के तहत निर्धारित	02 ग्लू बोर्ड / ट्रेन / राउण्ड ट्रीप
11	पुराने दाग धब्बे, स्टीकर, गोंद के निशान इत्यादि के लिए क्लीनिंग एजेन्ट	इराजेल गेल / चेला का प्लस या इस्टेनेक्स जी / हैलाइड का एस सी या रेलवे द्वारा अनुमोदित दूसरा ब्रान्ड	100 मिली / ट्रेन

सफाई कार्य में उपयोग में आने वाले टूल्स :-

1	सुपर एबजोरवेन्ट फ्लोर मॉपर	यात्रियों के बैठने के स्थान के नीचे का फ्लोर, यान का गलियारा, डोर वे इत्यादि के सफाई हेतु । एक 100 से 150 सेमी लम्बाई का एल्यूमीनियम हैंडल का कपड़ा लगा स्वेल्ड हेड मॉप होना चाहिए जो कि आसानी से घुमावदार हो । जिससे की कार्नर, सीट बर्थ के नीचे की मोपिंग आसानी से हो सके ।	01 अदद / वर्क स्टेशन होना चाहिए ।	
2	स्क्वीज ब्रश	टॉयलेट फ्लोर की सफाई एवं फ्लोर को सुखाने हेतु 140 से 150 सेमी लम्बा एल्यूमीनियम हैंडल का एवं पॉलीप्रोपीलीन ब्रिस्टल फोम रबर ब्लेड के साथ होना चाहिए । जिससे दो कार्य अर्थात सफाई एवं सुखाने का कार्य को सके ।	01 अदद / वर्क स्टेशन होना चाहिए ।	
3	क्लीनिंग केमिकल के रखने एवं छिड़काव हेतु स्प्रे गन के साथ बोतल	एक 500 मिली क्षमता का अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बोतल, बन्द करने योग्य स्प्रे गन के साथ	01 अदद / वर्क स्टेशन होना चाहिए ।	
4	टॉयलेट कमोड ब्रश	टॉयलेट कमोड, पैन एवं कमोड च्यूट एरिया की सफाई हेतु एक उपयुक्त कमोड ब्रश पॉलीप्रोपीलीन ब्रिस्टल के साथ ।	01 अदद / वर्क स्टेशन होना चाहिए ।	
5	कारपेट ब्रश	प्रथम वातानुकूलित यान के कारपेट की सफाई हेतु, जहाँ पर कारपेट उपलब्ध हो । विशेष प्रकार से बना हुआ पॉलीप्रोपीलीन ब्रिस्टल ब्रश	01 अदद / ट्रेन होना चाहिए ।	
6	साज सामान (अफोलेस्टरी) की सफाई हेतु ब्रश	सीट / बर्थ की सफाई हेतु कारपेट ब्रश का उपयोग नहीं होना चाहिए । इसके लिए अलग से पॉलीप्रोपीलीन ब्रश का उपयोग करना चाहिए ।		

7	बकेट (बाल्टी)	एक 10-15 लीटर क्षमता वाली बाल्टी जो कि सुन्दर दिखे, आसानी से ढोया जा सके जिसकी ऊँचाई कम हो जो हँवी ड्यूटी पॉलीप्रोपीलीन से बना हो। जिसको यहाँ से वहाँ ले जाने हेतु कास्टर व्हील लगा हो।	01 अदद/वर्क स्टेशन होना चाहिए।	
8	विन्डो ग्लास स्कवीज	विन्डो ग्लास की शीघ्र एवं प्रभावी सफाई हेतु विशेषतः 10 इंच लम्बाई के स्टेनलेस स्टील हैंडल का तथा 45 सेमी आकार के रबर ब्लेड जिसमे कि लॉकिंग व्यवस्था हो, होना चाहिए।	यह कम से कम 01 अदद/तृतीय एसी यान होना चाहिए।	
9	मिरर की सफाई हेतु माइक्रोफाइबर क्लथ	मिरर की सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में माइक्रोफाइबर क्लथ होना चाहिए।		
10	वाश वेसिन की सफाई हेतु स्पान्जी डस्टर	वाश वेसिन की सफाई हेतु पर्याप्त मात्रा में स्पान्जी (पानी सोखने वाला) डस्टर होना चाहिए।		
11	कूड़ा इकट्ठा करने हेतु डिस्पोजेबल बैग	सभी यानों से कूड़ा इकट्ठा करने एवं यानों के डस्टबीन/लीटरबीन से कूड़ा इकट्ठा करने हेतु बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल बैग उपलब्ध होना चाहिए।		
12	दूल कीट	ओ0 बी0 एच0 एस0 के पर्यवेक्षक के पास हल्के वजन का एफ. आर. पी दूल किट होना चाहिए। जिससे की वाटर पाईप से सम्बंधित छोटे कार्य/कारपेंटरी से सम्बंधित छोटे-मोटे मरम्मत कार्य हो सके।		

बायो टायलेट

ट्रेनों में पहले शौचालयों में भारतीय पद्धति के कमोड च्यूट लगाए गये थे जिस कारण गाड़ी के प्लेटफार्म पर खड़ी रहने पर प्लेटफार्म पर गंदगी होती थी जिससे वातावरण प्रदूषित होता था तथा बीमारियाँ फैलती थी तथा रनिंग के दौरान भी गंदगी गिरने से प्रदूषण फैलता था तथा ट्रेक में करोजन भी होता था। भारतीय रेल ने DRDO / ग्वालियर के साथ मिलकर एक नयी तकनीक विकसित की तथा ट्रेनों के शौचालयों में भारतीय पद्धति के कमोड च्यूट के स्थान पर बायो टैंक लगाये गये। इस बायो टैंक में एर्नाबिक बैक्टीरिया डाला जाता है जो मानव मल को टैंक के अन्दर पानी तथा (मीथेन) गैस में बदल देती है। टैंक के अन्दर का पानी क्लोरिन चैम्बर से होता हुआ बाहर गिरता है। जो कि वातावरण के अनुकूल रहता है। वाशिंग पिट/ रनिंग के दौरान आप जब भी शौचालयों की सफाई करेंगे उस समय उसमें एसिड, के आयल, हानिकारक केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे नही तो टैंक में पड़ी एर्नाबिक बैक्टीरिया मर जायेंगे जिससे शौचालय में दुर्गन्ध आने लगेगी। आप सदैव रेलवे द्वारा स्वीकृत इको फ्रेंडली केमिकल का ही प्रयोग करेंगे।

रनिंग के दौरान बायो टायलेट युक्त शौचालयों हेतु प्रयोग आने वाले महत्वपूर्ण टूल्स

1. कचरा चुनने वाला/पिकिंग टंग
2. चोक छुड़ाने वाला डिवाइस – चोक रिमूवर (100 मिमी, 150 मिमी)
3. यूनिवर्सल फुट पैडल

बायो टायलेट को कार्यशील बनाने हेतु निम्न कार्य अवश्य किये जाये :-

1. बायो टायलेट युक्त लैब से बोतल, समाचार पत्र, नेपकिन, कपड़ा, पाली बैग, टी कप इत्यादि कचरा चुनने वाले यंत्र से हटा दे।
2. शौचालय की चोकिंग को देखने/विश्लेषण करने हेतु फ्लशिंग करें।
3. अगर पैन चोकड पाया जाता है तथा यदि शौचालय में शाफ्ट है तो युनिवर्सल फुट पैडल लगाकर एवं इसे चलाये। यदि शाफ्ट नहीं है तो चोक रिमूवर द्वारा चोकिंग को साफ करें। फुट पैडल के न कार्य करने की स्थिति में चोकिंग को चोक रिमूवर डिवाइस से रिमूव करें। कमोड पैन को चोक रिमूवर द्वारा चोक करेंगे तथा उसके पश्चात फलश काक द्वारा पानी से कमोड पैन को भरेंगे पानी भरने के पश्चात चोक रिमूवर को एकाएक हटा लेंगे जिससे पैन में भरा पानी तेजी से कमोड नेक के माध्यम से टैंक में जाने की कोशिश करेगा जिससे चोक खुल जायेगा। यदि उसके पश्चात भी चोकिंग नहीं खुलती तो चोक रिमूवर को कमोड नेक में 3-4 बार उपर नीचे करके प्रेश करेंगे तथा लगातार फ्लशिंग करते रहेगे जिससे चोक खुल जायेगा। यदि उसके पश्चात भी चोकिंग नहीं खुलती तो गाड़ी खड़ी होने पर स्कू झाइवर द्वारा रबर कर्नेक्टर को खोल देंगे जिससे चोकिंग खुल जाएगी।
4. प्रत्येक बायो टायलेट युक्त शौचालय के डस्टबीन से कूड़ा हटाते है।
5. अब बायो टायलेट को सही ढंग से साफ करना चाहिए।

ओबीएस कर्मचारी द्वारा ले जाने वाले दस्तावेज :-

1. पर्याप्त मात्रा में फीड बैक फार्म।
2. केमिकल्स एवं नॉन कन्ज्यूम्युबलस् आइटम्स का लिस्ट।
3. यात्रियों के शिकायत सम्बन्धी रजिस्टर।
4. खोया पाया रजिस्टर।

यात्रियों से फीड बैक प्राप्त करना :-

ओ0बी0एच0एस0 कर्मचारियों के द्वारा रनिंग के दौरान स्तरीय साफ-सफाई कार्य करने के बाद यात्रियों से फीड बैक प्राप्त करना है क्योंकि ओ0बी0एच0एस0 स्कीम चलाने के पीछे भारतीय रेल की यही मंशा है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को सुखद अनुभूति हो। यात्रियों से फीड बैक प्राप्त करते समय विनम्रता से बात करें। यात्रियों को सम्मान देते हुए फीड बैक फार्म दें तथा उनसे अनुरोध करें कि मेरे द्वारा इस कोच की सम्पूर्ण साफ सफाई ,डीसइन्फेक्टिव केमिकल से पोछा , शौचालय , हैण्ड वाश बेसिन की सफाई, मिरर की सफाई इत्यादि की गयी है। अगर आप मेरे कार्य से संतुष्ट हैं तो इस फार्म को कृपया भरें ताकि मेरे द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन हो सके तथा अगर कोई सुझाव हो तो भी कृपया इस फार्म पर ही दें। यात्रियों को कभी भी फीड बैक फार्म भरने हेतु बाध्य न करें और न हीं अपने से कभी भी फीड बैक फार्म को भरें।

क्लीन रेल एप्प

ओ0बी0एच0एस0 स्टाफ द्वारा डिजिटल फीडबैक लेने हेतु रेलवे ने क्लीन रेल एप्प का प्रयोग शुरू किया गया है। जिसमें यात्रा के दौरान ओ0बी0एच0एस0 द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को एक साथ एक प्लेटफार्म पर किया जा सकता है साथ ही उनकी मॉनिटरिंग भी प्रभावी ढंग से की जा सकती है।

इस एप्प में विभिन्न तरह के फीडबैक एवं रिपोर्ट तैयार की जा सकती है जो कि निम्न है:-

1. मैटेरियल चेकलिस्ट।
2. अटेंडेंस चेकलिस्ट प्रोफार्मा।
3. ओ0बी0एच0एस0 इन्सपेक्शन प्रोफार्मा।
4. पैसेन्जर फीडबैक (एसी एवं नान एसी)।
5. रेलवे फीडबैक (i) ट्रेन पर एवं (ii) स्टेशन पर
6. ग्रीवान्स मैकेनिज्म।

यह सभी रिपोर्ट रियल टाइम में सर्वर पर अपडेट हो जाती है साथ ही इन रिपोर्ट पर इनके लिए हुए स्थान का जी0पी0एस0 कोर्डिनेट भी अंकित होता है जिससे की रिपोर्ट की विश्वसनीयता का आकलन हो सके। साथ ही पैसेन्जर द्वारा दिए गए फीडबैक को ओ.टी.पी. के माध्यम से वेरिफाई भी किया जा सकता है।

शिकायत/जनपरिवाद का निपटारा एवं यात्रियों के साथ बर्ताव:-

ओ0बी0एच0एस0 कर्मचारियों एवं लीनेन वितरण कर्मचारियों को यात्रियों के द्वारा किसी तरह की शिकायत मिलने पर उसे दूर करने सम्बन्धी त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए एवं यात्रियों के साथ विनम्रता एवं शिष्टतापूर्वक बात करनी चाहिए। कई मौकों पर यह देखा जाता है कि यात्रियों के द्वारा कोई छोटी मोटी शिकायत साफ सफाई एवं बेड रोल को लेकर की जाती है जिसे विनम्रतापूर्वक तुरन्त हल किया जा सकता है लेकिन ओ0बी0एच0एस0 एवं लीनेन वितरण स्टाफ कर्मचारियों के रूढ़े व्यवहार के कारण समस्या का समाधान तुरन्त नहीं हो पाता है। यात्रियों के साथ किसी प्रकार की बहस न करें बल्कि उस कार्य को करके दिखाये/कार्य करने की दिशा में प्रयत्न करें। जो भी यात्री ट्रेन में अधिकृत रूप से यात्रा कर रहे हैं उनका यह अधिकार है कि रेलवे द्वारा जो भी सहूलियत/सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती हैं उसकी वे मांग करें और हमलोगों का यह दायित्व है कि उसे पूरा करें। किसी तरह की समस्या आने पर कैरेज कंट्रोल के सूचना पर पहुँचे ग्राउण्ड स्टाफ से भी उस कार्य को करवायें तथा शिकायत का सफलता पूर्वक निष्पादन करें।

कूड़ा इकट्ठा करना एवं इसका निस्तारण :-

ट्रेन रनिंग के दौरान यानों से इकट्ठा किये गये कूड़े एवं डस्टबीन/लीटरबीन से इकट्ठा किये गये कूड़े को पॉली बैग में भरकर उसे तार या धागे से इस प्रकार बाँधना चाहिए जिससे की कूड़ा बाहर ना निकले तथा गारबेज कलेक्शन हेतु नामित स्टेशनों पर समाधि विभाग के प्रतिनिधि या दूसरे विभाग के नामित प्रतिनिधि को कूड़े से भरा पॉली बैग दे देना चाहिए। रनिंग के दौरान इसे अन्यत्र कहीं नहीं फेंकना चाहिए।

यात्रियों को लिनेन / बेडरोल देना एवं यात्रा के समाप्ति पर उसे इकट्ठा करना :-

वातानुकूलित यानों में यात्रा करने वाले यात्रियों को (आर.ए.सी को शामिल करते हुए) 30 मिनट के अन्दर लिनेन वितरण स्टाफ द्वारा फ्रेस पैकड लिनेन पैकेट बड़े ही विनम्र भाव से उपलब्ध कराना चाहिए। लिनेन वितरण स्टाफ को व्यक्तिगत रूप से साफ सुथरा एवं हाइजिन मेन्टेन करना चाहिए। यात्रियों के यात्रा समाप्त कर उतरने से 30 मिनट पूर्व उपयोग में लाये गये लिनेन को इकट्ठा कर उसका सही ढंग से मिलान करना चाहिए। गाड़ी के स्टार्ट होने वाले स्टेशन पर लिनेन को गिन कर अर्थात् जाने एवं वापसी यात्रा के दौरान उपयोग हो सकने वाले पीलो को लेना चाहिए तथा निर्धारित सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। वापसी यात्रा की समाप्ति पर सभी लिनेन आइटम को (फ्रेस एवं गन्दा लिनेन) रेलवे प्रतिनिधि को प्रापर एकाउन्टल कर सौंप देना चाहिए।

लिनेन / बेडरोल वितरण करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य निर्देश :-

1. लिनेन/बेडरोल वितरण करने वाले कर्मचारी को साफ सुथरे निर्धारित यूनिफार्म में रहना चाहिए उसके पास अच्छी क्वालिटी का जूता होना चाहिए, नेम बिल्ला, आई कार्ड, किसी प्राधिकृत डॉक्टर द्वारा दिया गया मेडिकल कार्ड, अच्छी क्वालिटी का टार्च होना चाहिए।
2. लिनेन/बेडरोल वितरण करने वाले कर्मचारी की संख्या प्रति वातानुकूलित यान एक होनी चाहिए। कर्मचारी को यात्रियों के साथ कैसे सही एवं विनम्र भाव से बात करनी है, का ज्ञान होना चाहिए। कर्मचारी को गाड़ी खुलने के एक घण्टा पहले प्लेटफार्म पर आकर सीसेई/समाधि के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। बेडरोल/लिनेन आइटम लेते समय बड़े ही सावधानीपूर्वक बेडरोल आइटम का मिलान करना चाहिए एवं उसे रेलवे द्वारा उपलब्ध कराये गए निर्धारित जगह पर सुरक्षित रखना चाहिए। उसे अन्यत्र कोच के दरवाजे या कॉरिडोर में नहीं रखना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि बेडरोल के लोडिंग एवं अनलोडिंग के दौरान यात्रियों को कोई परेशानी न हो। कर्मचारी को रनिंग के दौरान वातानुकूलित यानों के दरवाजे को बन्द रखना चाहिए और जहाँ जब आवश्यकता हो तुरन्त दरवाजा खोल देना चाहिए।
3. लिनेन/बेडरोल वितरण करने वाले कर्मचारी को रेलवे द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित जगह पर बैठना चाहिए जिससे कि यात्रियों को बेडरोल लेने या अन्य आवश्यक कार्य के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। कर्मचारी के निर्धारित जगह पर न बैठे होने की दशा में जन परिवाद हो सकता है।
4. लिनेन/बेडरोल वितरण करने वाले कर्मचारी को फेश लिनेन एवं उपयोग में लाये गये लिनेन को अलग अलग पैकेट में सुरक्षित रखना चाहिए। लिनेन आइटम को यान के अन्दर जगह जगह ढेर बनाकर नहीं रखना चाहिए, इससे लिनेन आइटम के खराब/गायब होने की सम्भावना रहती है।
5. लिनेन/बेडरोल वितरण करने वाले कर्मचारी को यात्रियों को बेडरोल सेवा देने के बाद निर्धारित मात्रा में रेलवे द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट पर फीडबैक प्राप्त करना है। यात्रियों से फीडबैक प्राप्त करते समय विनम्रता से बात करें। यात्रियों को कभी भी फीड बैक फार्म भरने हेतु बाध्य न करें और न हीं अपने से कभी भी फीड बैक फार्म को भरें।

खोये एवं पाये सामग्रियों का निस्तारण :-

ट्रेन रनिंग के दौरान किसी भी सामग्री के प्राप्त होने पर जैसे किसी यात्री का कोई सामान छूट जाने पर या यान के अन्दर कोई वस्तु दिखाई पड़ने पर ऑरिजिनेटिंग स्टेशन /इनरूट में रेलवे के प्राधिकृत व्यक्ति को इसे सौंप देना चाहिए। संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़ने पर रेलवे के टी0टी0ई0, जी0आर0पी0,आर0पी0एफ0 को अविलम्ब सूचित करना चाहिए। ओ0बी0एच0एस0 कर्मचारियों एवं लीनेन वितरण करने वाले कर्मचारियों के पास खोये एवं पाये का एक रजिस्टर होना चाहिए। खोये एवं पाये सामग्रियों के निस्तारण का इसमें विवरण होना चाहिए।

यान में अनधिकृत व्यक्ति का होना :-

वातानुकूलित यानों में अगर अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करते हैं तथा कोरीडोर , मेन दरवाजे के पास खड़े रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें यान से नीचे उतारने की कोशिश करनी चाहिए तथा अविलम्ब इसकी सूचना टी0टी0ई0, ट्रेन स्कोटिंग स्टाफ, जी0आर0पी0/आर0पी0एफ0 को देनी चाहिए क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति के मेन दरवाजे ,शौचालयों के पास या कोरीडोर में खड़े रहने से अधिकृत यात्रियों को परेशानी होती है तथा जन परिवाद बढ़ने की संभावना रहती है।

यात्री सुविधा मद के मरम्मत के संबन्ध में :-

ओ0बी0एच0एस0 पर्यवेक्षक/इ0एच0के0 तथा लीनेन/बेडरोल स्टाफ के पास स्क्रू ड्राइवर, पाईप रिंच, हथौड़ा इत्यादि होने चाहिए जिससे कि ये ट्रेन रनिंग के दौरान छोटे मोटे यात्री सुविधा मद जैसे वाटर टैप, शौचालय के दरवाजे का कैच/लैच , ट्रेन पाईप इत्यादि की मरम्मत कर सकें। साथ ही साथ अगर इसकी मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी सूचना कैरेज कंट्रोल को दे जिससे कि कंट्रोल के द्वारा संबंधित कंट्रोल के क्षेत्राधिकार जहाँ से गाड़ी गुजर रही होती है, के माध्यम से कराया जायेगा तथा ग्राउण्ड से आये कर्मचारियों को मरम्मत कार्य में मदद करें तथा इसकी सूचना कंट्रोल को अवश्य दें जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि उक्त कार्य हो पाया या नहीं । यात्रियों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर उसके निस्तारण की तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिए तथा जनपरिवाद रजिस्टर पर उसे अंकित करना चाहिए।

नामित वाटरिंग स्टेशनों का ज्ञान एवं वाटरिंग सुनिश्चित करना:-

ओ0बी0एच0एस0 कर्मचारियों एवं लीनेन वितरण कर्मचारियों को ट्रेन जिस रास्ते से गुजरती है नामित वाटरिंग स्टेशन का ज्ञान होना चाहिए तथा ग्राउण्ड से आये कर्मचारियों से वाटरिंग कार्य कराना चाहिए। कोई समस्या आने पर कैरेज कंट्रोल को सूचित करना चाहिए।

आपातकालीन खिड़की को खोलने का तरीका :-

वातानुकूलित एल0एच0बी0 कोच की दशा में :- एल0एच0बी0 के सभी वातानुकूलित यानों में आपातकालीन खिड़की का प्रावधान किया गया है। आपातकाल की स्थिति में इस खिड़की के आउटर रबर को निकालते हैं। इनर रबर जिसमें कि हैंडल लगा है निकालते हैं तथा शीशे में लगे हैंडिल को अपनी ओर सावधानी से खींचते हैं जिससे कि आपातकालीन खिड़की में लगा शीशा निकल जाता है तथा खिड़की खुल जाती है आपातकाल खिड़की से निकलते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि नीचे की गहराई कितनी है तथा बगल के ट्रैक पर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। सावधानीपूर्वक खिड़की से बाहर निकलें।



आपातकालीन खिड़की बन्द अवस्था में



आपातकालीन खिड़की खुली अवस्था में

वातानुकूलित आई0सी0एफ0 कोच की दशा में :- आपातकालीन खिड़की के पास आपातकालीन खिड़की लिखा रहता है। वातानुकूलित यानों के दरवाजे के पास हथौड़ा एक शीशे के बाक्स में सुरक्षित रखा रहता है। शीशे के बाक्स को तोड़ कर हथौड़ा बाहर निकालते हैं तथा आपातकालीन खिड़की के लॉकिंग पीन हेतु बने शीशे के छोटे से बाक्स को तोड़ते हैं तथा लॉकिंग पीन को बाहर निकालते हैं तथा खिंचते हैं। जिससे कि आपातकालीन खिड़की में लगा रबर खुलने लगता है हैंडिल पकड़ कर शीशे को अन्दर की ओर खिंचते हैं तथा शीशा हटाकर सुरक्षित बाहर निकलते हैं। आपातकालीन खिड़की से निकलते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि नीचे की गहराई कितनी है तथा बगल के ट्रैक पर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। सावधानीपूर्वक खिड़की से बाहर निकलें।

एल0एच0बी0 एवं आई0सी0एफ0 के शयनयान श्रेणी की दशा में :- आपातकालीन खिड़की में ग्रील के लॉकिंग हेतु बने शीशे के बाक्स को तोड़ते हैं तथा लॉकिंग पीन को बाहर निकालते हैं। इसके पश्चात ग्रील के नॉब को दोनों ओर से दबाकर ग्रील को उपर उठाते हैं तथा सुरक्षित बाहर निकलते हैं।



लॉकिंग पिन बाक्स

ए०सी०पी० का ज्ञान एवं रिसेटिंग की विधि :-

ट्रेनों में ब्रेकिंग सिस्टम का कन्ट्रोल एयर प्रेशर से ही होता है। यात्रियों के सुविधा एवं संरक्षा/सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री ट्रेनों में एलार्म चेन पुलिंग की सुविधा प्रदान की गयी है। एलार्म चेन पुलिंग की सुविधा किसी यात्री के जानमाल के नुकसान की स्थिति में, किसी यात्री के गम्भीर रूप से बीमार हो जाने, ट्रेन में आग लग जाने पेन्ट्रीकार से एल०पी०जी गैस के रिसाव इत्यादि के स्थिति में किया जा सकता है। लेकिन बिना किसी पर्याप्त कारण के ए०सी०पी० करना एक दंडनीय अपराध है जिसमें ए०सी०पी० करने वाले व्यक्ति को जेल या आर्थिक दण्ड की सजा या दोनों भी हो सकती है।

किसी कोच में ए०सी०पी० होने पर रिसेट करने की विधि :-

एल०एच०बी० यानों में :- जब किसी यात्री के द्वारा या शरारती तत्व द्वारा यान के किसी कूपे/कम्पार्टमेंट में लगे पीज्ड के स्पिंडल को खींचा जाता है तब यान के ब्रेक पाईप का प्रेशर यान के नीचे लगे पीव के 19 मिमी० डायामेटर के होल से लगातार निकलने लगता है और पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाती है।

पहचान:- जिस कोच से एलार्म चेन को खींचा जाता है तब उसका पीज्ड का स्पिंडल हैंडल अपने स्लाट में नीचे आ जाता है जो स्पष्ट दिखता है तथा वहाँ पर रेड लाईट जलती है साथ ही साथ कोच के नीचे से लगातार हिंसिंग साउण्ड भी आती है तथा मेन दरवाजे के पास साइड में लगा लाईट भी जलता है। कभी-कभी मेन दरवाजे के पास लगा लाईट एवं जहाँ से एसीपी किया गया है वहाँ की लाईट नहीं जलती है, तो ऐसी स्थिति में उस यान से निकल रहे हिंसिंग साउण्ड से भी उसे पकड़ा जा सकता है तथा यान के अन्दर से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि किस यान के किस कूपे/कम्पार्टमेंट से एलार्म चेन पूल हुआ है क्योंकि वहाँ पर पीज्ड का हैंडल अपनी जगह से नीचे आ जाता है।

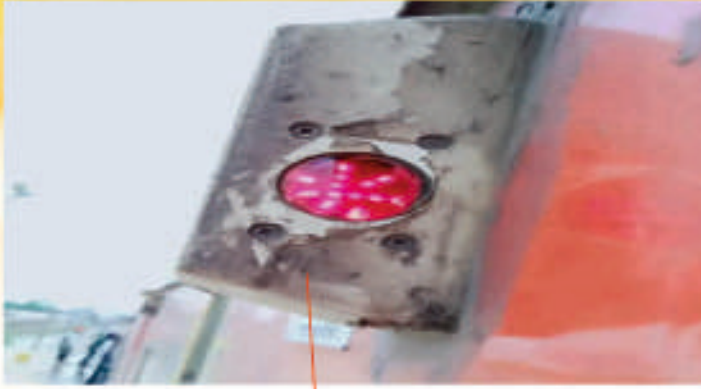
रिसेटिंग की विधि :- सर्वप्रथम यह पहचान करना है कि किस कोच से ए०सी०पी० किया गया है उसके पश्चात् यान के जिस कूपे/कम्पार्टमेंट से ए०सी०पी० किया गया है उसके पीज्ड सिस्टम में रिसेटिंग चॉभी लगाकर घड़ी की दिशा में घुमा देना है जिससे स्पिंडल हैंडल अपनी जगह पर सामान्य अवस्था में शिफ्ट हो जायेगा तथा लाल बत्ती का जलना बन्द हो जायेगा/ हिंसिंग साउण्ड भी आना बन्द हो जायेगा। अगर यहाँ से रिसेटिंग चॉभी से रिसेट नहीं हो पा रहा है तब यान के नीचे उतर कर साइड में चलते हुए देखें कि जहाँ से हिंसिंग साउण्ड निकल रहा है उसके पहले एक कौक लगा है उसे पाईप के लम्बवत् घुमा देना है अर्थात् आइसोलेट कर देना है जिससे हिंसिंग साउण्ड बन्द हो जायेगा तथा कंट्रोल पैनल पर लगे ब्रेक इण्डिकेटर पुनः हरे रंग के हो जायेंगे जो ए०सी०पी० के बाद लाल रंग के हो गये थे। नीचे से आइसोलेट करने का कार्य बड़ी ही सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। बेहतर यह है कि गार्ड, ड्राइवर से सम्पर्क बनाकर ही यह कार्य किया जाये।



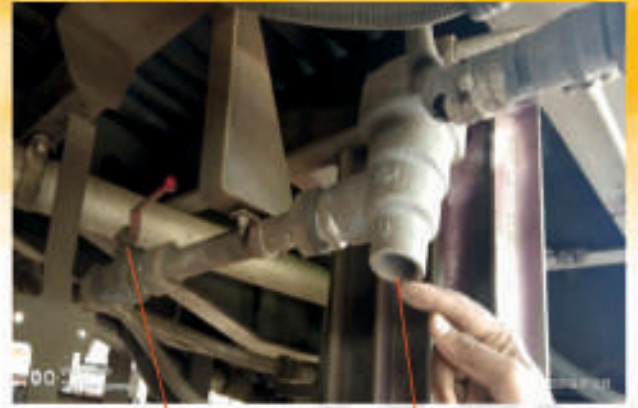
एसीपी सिस्टम सामान्य अवस्था में



एसीपी हुए अवस्था में



यान के मैन डोर के पास जलता हुआ लाइट
(एसीपी हुए अवस्था में)



पीव (19 मिमी होल डायामेटर का)

आइसोलेटिंग कॉक सामान्य अवस्था में



आइसोलेटिंग कॉक, आइसोलेटेड अवस्था में

आ0ई0सी0एफ0 यान की दशा में :- आ0ई0सी0एफ0 यानों के अन्दर कम्पार्टमेन्ट में दोनों साइड से वाल पैनल से होते हुए पूरी लम्बाई में एसीपी वायर लगा होता है। जिसमें कई स्थानों पर एलार्म चेन पूल करने हेतु एसीपी वायर से लगा हुआ एक वायर यान के अन्दर साइड वाल से लटकता रहता है, जिसमें लकड़ी का मुठिया लगा रहता है। एलार्म चेन पूल करने के लिए इसे खिंचा जाता है। जिससे यान के इण्ड पैनल पर लगे पीव से लगातार प्रेशर निकलता है तथा हिर्सिंग साउण्ड आती है।

रिसेटिंग की विधि :- इण्ड पैनल पर लगे पीस्ट से एक वायर लटकता रहता है, जिसमें लकड़ी का मुठिया लगा रहता है जिसे खींचने पर रिसेट हो जाता तथा प्रेशर का निकलना बन्द हो जाता है। अगर वायर खींचने पर भी प्रेशर का निकलना बन्द न हो तो जो ब्रेक पाइप का ब्रॉच पाइप उपर पीव से जुड़ा है। उसी पाइप पर नीचे आइसोलेटिंग काक लगा होता है जिसे पाइप के लम्बवत घुमा देते हैं, अर्थात् आइसोलेट कर देते हैं।



एसीपी वायर



रिसेटिंग वायर



एसीपी सिस्टम को आइसोलेट करने हेतु आइसोलेटिंग हैंडिल



एसीपी सिस्टम आइसोलेटेड अवस्था में

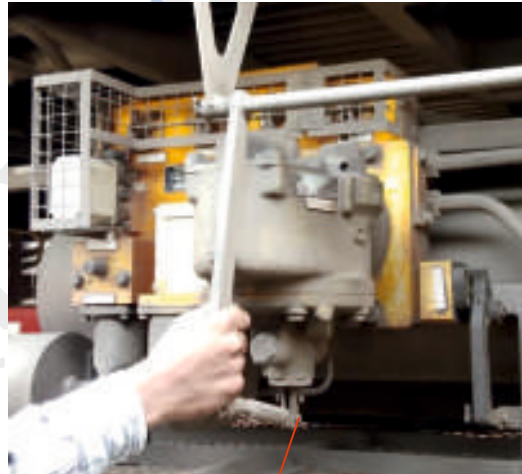
ब्रेक बाइंडिंग को ठीक करना

ब्रेक बाइंडिंग ब्रेक ब्लाक द्वारा चक्के को पकड़ लिया जाना है जबकि ड्राइवर गाड़ी को चलाना चाहता है। भारतीय रेलवे में एयर ब्रेक सिस्टम कार्यरत है जब किसी कारण से एयर प्रेशर गिरता है तो गाड़ी में ब्रेक लग जाती है और जब ब्रेक को रिलीज किया जाता है और रिलीज न हो तो वह घटना ब्रेक बाइंडिंग कहलाता है।

एल0एच0बी0 यानों में ब्रेक बाइंडिंग छुड़ाने की विधि :- जब किसी एल0एच0बी0 यानों में ब्रेक बाइंडिंग होता है तो कंट्रोल पैनल पर लगा ब्रेक इंडिकेटर लाल रंग का हो जाता है। इससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। सर्वप्रथम कंट्रोल पैनल पर लगे डी0वी0 के क्वीक रिलीज लीवर को खिंचते हैं। फिर देखते हैं कंट्रोल पैनल पर लगा ब्रेक इंडिकेटर लाल रंग से हरा हुआ या नहीं। अगर ब्रेक इंडिकेटर हरा हो गया है इसका अर्थ यह है कि यान में ब्रेक रिलीज हो गया है। ब्रेक इंडिकेटर के लाल स्थिति में रहने पर डी0वी0 को आइसोलेट करते हैं अर्थात् डी0वी0 के हैंडिल को जमीन के समानान्तर कर देते हैं पुनः रिलीज लीवर खींचते हैं। कंट्रोल पैनल पर लगे दोनों ब्रेक सिलिण्डरों को आइसोलेट कर देते हैं पुनः देखते हैं कि कंट्रोल पैनल पर लगे ब्रेक इंडिकेटर लाल रंग से हरा हुआ या नहीं इस प्रकार ब्रेक बाइंडिंग छुड़ाते हैं। अगर इससे भी ब्रेक बाइंडिंग नहीं छुटता है तो ग्राउण्ड से आये कर्मचारी/लोको पायलट, गार्ड, इत्यादि की ब्रेक बाइंडिंग छुड़ाने में मदद करनी चाहिए।



ब्रेक इंडिकेटर लाल ब्रेक लगे हुए अवस्था में



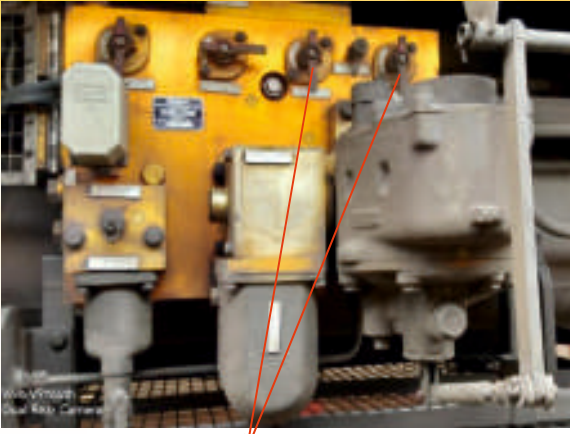
डी वी का क्वीक रिलीज लीवर



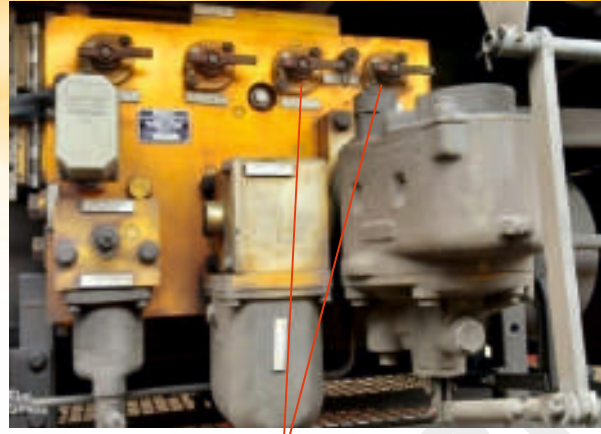
डी वी का आइसोलेटिंग हैंडिल सामान्य अवस्था में



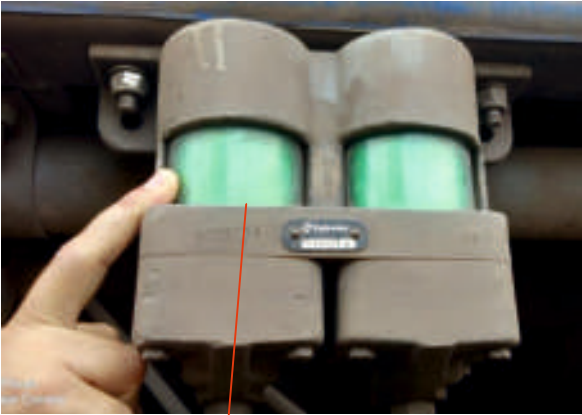
डी वी का आइसोलेटिंग हैंडिल आइसोलेट अवस्था में



ब्रेक सिलिण्डर सामान्य अवस्था में



ब्रेक सिलिण्डर आइसोलेट अवस्था में



ब्रेक इन्डिकेटर सामान्य अवस्था में

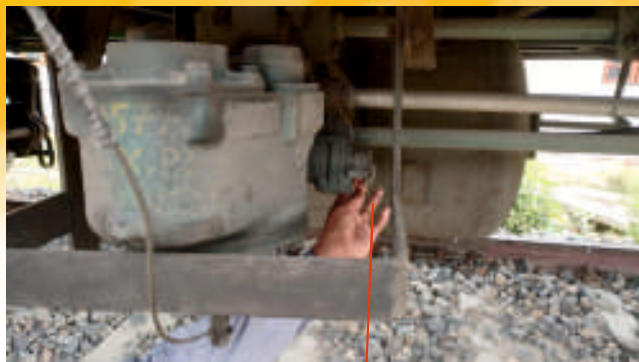
आई0सी0एफ0 यानो में ब्रेक बाइंडिंग छुड़ाने की विधि :- सर्वप्रथम डी0वी0 के क्वीक रिलीज लीवर को खींचते हैं। फिर डी0वी0 को आइसोलेट करते हैं पुनः डी0वी0 के क्वीक रिलीज लीवर को खींचते हैं। अगर इससे भी ब्रेक बाइंडिंग नहीं छुटता है तो ग्राउण्ड से आये कर्मचारी/लोको पायलट, गार्ड, इत्यादि की ब्रेक बाइंडिंग छुड़ाने में मदद करनी चाहिए।



डी वी का क्विक रिलीज लीवर



डी वी का आइसोलेटिंग हैंडिल सामान्य अवस्था में



डीवी का आइसोलेटिंग हैंडिल आइसोलेट अवस्था में

आग

आग हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इसके आभाव में हम जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब वह नियन्त्रण के बाहर हो जाती है तब उसपर काबू पाना कठिन हो जाता है। आग एक रासायनिक चेन क्रिया है जो किसी ज्वलनशील पदार्थ का ताजी हवा या आक्सीजन की उपस्थिति में उचित तापमान पर प्रारम्भ होता है तथा इस क्रिया में अग्नि, उष्मा, प्रकाश व ध्वनि के रूप में उत्सर्जित होती है। आग बराबर जलती रहे इसके लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है जिसे आग का चतुष्फलक कहते हैं (टेट्राहेड्रॉल) कहते हैं।

1. ज्वलनशील पदार्थ
2. ताजी हवा या आक्सीजन
3. प्रज्वलन ताप
4. रासायनिक चेन क्रिया

आग बुझाने के उपाय :- यदि आक्सीजन, प्रज्वलन ताप या ज्वलनशील पदार्थ तीनों में से किसी एक चीज को नियंत्रित कर दिया जाय तो आग अपने आप बुझ जायेगी।

आग से होने वाले मानव जीवन को खतरे :- आग से होने वाली ज्यादातर मौतें या तो प्रत्यक्ष जलने के कारण या धुएँ एवं अन्य विषैले गैसों के कारण होता है। अन्य कारणों में हार्ट फेल या चलती ट्रेनों से कूद जाने के कारण कारुणिक मौतें होती हैं। आग की घटना पर निम्न कारणों से मृत्यु हो जाती है।

1. धुँआ
2. जलना
3. भय या आतंक
4. जहरीली गैसों और वाष्प
5. धुएँ से दृष्टि में बाधा या अवरोध
6. मनोवैज्ञानिक आकुलता

ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यन्त्र ट्रेनों के प्रत्येक वातानुकूलित यान, पेन्ट्रीकार इत्यादि में उपलब्ध रहता है। आग लगने की घटना पर तुरन्त अग्निशामक यन्त्र को कोच की दिवाल में लगे ब्रैकेट से उतारें या निर्धारित जगह से उठाकर अपने हाथ में लें प्लंजर एसेम्बली में लगे सेपटी क्लीप को बाहर निकालते हैं तथा डिस्चार्ज पाईप को हाथ में लेकर अग्निशामक यन्त्र को आपरेट कर क्षैतिज से 45 डिग्री पर पकड़ते हैं प्लंजर एसेम्बली के नाब को हथेली से दबायें। पूरे पाउडर को रिलीज होने तक या आवश्यकतानुसार डिस्चार्ज पाईप को आग की तरफ टारगेट किये रहे जिससे आग बुझ जायेगी।



तकनीकी शब्द, संक्षिप्त शब्द एवं उसका विस्तार

1. मल्टी-स्कीलिंग- विभिन्न प्रकार के तकनीकी कार्य की जानकारी
2. ओबीएस- ट्रेनों के रनिंग के दौरान साफ-सफाई करने वाले कर्मचारी।
3. डोर वे- दरवाजे के पास का क्षेत्र।
4. गैंग वे - दोनों शौचालय के बीच का क्षेत्र।
5. वेस्टीव्यू एरिया - यान से यान में जाने का रास्ता।
6. डीसइन्फेक्टव मैटेरियल - कीटाणुनाशक दवा।
7. मेपिंग - पोछा लगाना।
8. सोप डिस्पेंसर - साबुन रखने वाला पात्र।
9. नॉन कन्जम्यूबलस - खपत नहीं होने वाला अर्थात् टूल्स।
10. हिसिंग साउन्ड - एयर प्रेशर निकलने की आवाज।
11. एसपी - एलार्म चेन पुल।
12. पीज्ड - पैसेन्जर इमरजेन्सी एलार्म सिग्नल डिवाइस।
13. पीव - पैसेन्जर इमरजेन्सी एलार्म वाल्व।
14. डीवी - डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व

कोविद डिपो मण्डवाडि

